

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
 अंसारीनगर, नई दिल्ली | 110029

पटना, दिनांक..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	भाबेश रजन पिता— कृष्ण कुमार मिश्रा ग्राम— डरहार पो०— लहेरियासराय थाना— बहादुरपुर जिला— दरभंगा यूएचआईडी न०— 102064160	एप्लास्टिक एनीमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत विशेष परिस्थिति मे।
2	प्रकाश कुमार पिता— प्रदीप साह ग्राम+पो०— बैरिया थाना— रामगढ़वा जिला— पूर्णी चम्पारण यूएचआईडी न०— 106231222	क्रोनिक किडनी रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत विशेष परिस्थिति मे।
3	प्रिंस कुमार पिता— पच्चू पासवान ग्राम+पो०— पैगम्बरपुर थाना— सिंघवारा जिला— दरभंगा यूएचआईडी न०— 107540828	बोन मेरो ट्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
			7,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,00,000/- (सात लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0-30121380424 एस0 बी० आई०, बैली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892 द्वारा

०

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके स्थान/अस्पताल के खाता सं 10874588593, खाता धारक का नाम— AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम— अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं—SBIN 0001536 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/चृद्घ नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त 'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

40/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1241 (14)

पटना, दिनांक 07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196897 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कांडका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / अर्डेंट मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कागियों परेषित।

निदेशक प्रमुख



सं0 सं0 14 / एम 11-01 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनाक .

विषय — “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	माला देवी पति— योगेन्द्र शुक्ल ग्राम— पतिलार कारखाना टोला पो०— पतिलार थाना— चौतरवा जिला— पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न०— 102657777	Alecurative Colitis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	तकीउद्दीन अहमद पिता— ताजउद्दीन अहमद ग्राम— श्यामपुर पो०— नरमा थाना— अलीनगर जिला— दरभंगा यूएचआईडी न०— 106748545	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	अपराजिता पिता रवि भुषण सहनी ग्राम—लल्लु पोखर पो०—मुगेर थाना—कासिम बाजार जिला—मुंगेर सीआरन०—108022836	बोन मैरो ट्रास्प्लाट	6,00,000	छ लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			9,25,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,25,000/- (नौ लाख पचीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892...द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874584010, खाता धारक का नाम— निदेशक, अ0 भा0 आ0 सं0, खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0—SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आणिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1242(14)

पटना, दिनांक १८/५/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196892 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों से अई बी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख
 सेवा मे,
 निदेशक,
 डा० बी०एल० कपुर मेमोरियल
 सुपर स्पेशलीटी अस्पताल, पुसा रोड
 नई दिल्ली-110005

पटना, दिनाक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 30.04.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० मोहसिन खान पिता— मो० मुस्तकीम खान ग्राम— बरहबतरा पो०— आरा थाना— टाउन जिला— भोजपुर	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0— 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176892. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0— 013694600003200 खाता धारक का नाम— Dr.B L Kapur Memorial Hospital a Unit of Lahore Hospital Society खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—YES Bank Ltd, शाखा का नाम— 56 Janpath, ALPS Building Connaught Place New Delhi RTGS/IFSC कोड स0—YESB 0000136 मे अतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें।
मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”,
खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 1243(14)

पटना, दिनांक

07/07/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि
सलग्न चेक सं० 196872 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर
दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग
संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,
 निदेशक,
 स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एड रिसर्च सेंटर लि0
 ओखला रोड,
 नई दिल्ली 110025

पटना, दिनाक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनाक 30.04.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	मो0 जमालुद्दीन पिता— मो0 बदरुल हक ग्राम+पो0— दमला थाना— बिरफी जिला— मधुबनी	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	सैयद अबुल कलाम अशरफ पिता— सैयद अख्तर हुसैन ग्राम— मुश्कीपुर पो0— जमालपुर थाना— गोगरी जिला— खगड़िया	हृदय रोग बाईपास सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 4,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स0 006-297816-001, खाता धारक का नाम— स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एड रिसर्च सेंटर लि0, खाते का प्रकार— चालु, बैक का नाम The Hong Kong and Shanghai Banking Corporatic शाखा का नाम— Mumbai RTGS/IFSC कोड स0-HSBC 0400002 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. गुरुदा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुरुदा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 1244(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196892 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त काडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक
मैक्स सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
108-ए इच्च ग्राम एक्सटेंशन
पतपरगंज दिल्ली-110092

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30/04/2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार पिता— महेश राय ग्राम— खड़ाव खुर्द फतेहपुर पो— अधारी थाना— सहार जिला— भोजपुर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख रुपये। विशेष परिस्थिति मे।
			₹ 1,00,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0-30121380424 एस0 बी० आई०, बैली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176892.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके स्थान/अस्पताल के खाता स0 201003913025, खाता धारक का नाम— **Balaji Medical And Diagnostic Research Centre**, खाते का प्रकार— Cash Credit Account, बैंक का नाम IndusInd Bank Limited शाखा का नाम— **Dr. Gopal Das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi – 110001, RTGS/IFSC कोड स0- INDB0000005** मे अतरित किया जाता है।
- 3 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- 4 गलत प्रमाण पत्र/चार्ड नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 5 यदि रुपये में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान

की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख।

ज्ञापांक 1245(14)

पटना, दिनांक 07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक संख्या 196892 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,
सजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, 226014

पटना, दिनाक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक 30.04.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हर्ष कुमार पिता— सुरेश कुमार ग्राम— योगियामठ बिहाइड रेलवे ट्रेनिंग स्कूल पो0— प्रधान डाकघर थाना— नगर जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न0— 20231089174	SSPE रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	महेन्द्र कुमार पिता— राम नारायण यादव ग्राम— शरीफपुर पो0— करहस्सी थाना— मुफ्फसिल जिला— बक्सर सीआर न0— 2017542817	ब्रेन ट्यूमर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	सुनीता देवी पति— स्व0 धनजी चौधरी ग्राम+पो0— सकला बाजार थाना— काराकाट जिला— रोहतास सीआर न0— 2025320736	Suprasellar Meningioma	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
4	प्रकाश कुमार पिता— सुरेश पडित ग्राम— मारवाड़ी धर्मशाला वार्ड 02 पो0+थाना— चनपटिया जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न0— 2022945055	Miyoshi Muscular Dystrophy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

5	रुपा देवी पति— मुन्ना कुमार ग्राम+पो0+थाना— घोसी जिला— जहानाबाद सीआर नं0— 20171007243	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत
6	दिनेश कात राय पिता— शोभाकांत राय ग्राम— बसुहाम पो0+थाना— बहेडा जिला— दरभंगा सीआर न0— 2024904923	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	महेद्र प्रसाद पिता— गुरु प्रसाद ग्राम+पो0— सिघाडा थाना— दुल्हिन बाजार जिला— पटना सीआर न0— 2016365560	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
8	शेर बहादुर सिंह पिता— स्व० सरजु सिंह ग्राम— पिपराडीह पो0— लहठान थाना— अगिओव जिला— भोजपुर सीआर न0— 2025253124	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	लालशा कुमारी पिता— रामायण राम ग्राम— खैरवा टोला पो0— चुहडी थाना— चनपटिया जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न0— 2024597112	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	आदित्य राज पिता— रमेश सिंह ग्राम+पो0— चिराद थाना— डोरीगज जिला— सारण सीआर न0— 20241146088	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			15,25,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,25,000/- (पन्द्रह लाख पचीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196891 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 10095237548 खाता धारक का नाम—“निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस0जी0पी0जी0आई0, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0007789 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4

यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5

चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6.

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1246 (14)

पटना, दिनांक 07/05/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 196892 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख
 सेवा मे ,
 निदेशक, /अधीक्षक
 डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
 संस्थान, गोमती नगर
 लखनऊ –226010

पटना, दिनांक—

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	रगलाल साह पिता— दीना साह ग्राम+पो0+थाना— कुचायकोट जिला— गोपालगंज	किडनी रोग CKD V	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0–6193000100005944, खाता धारक का नाम—MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम—विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं—PUNB0619300 मे अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त 'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

- चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

ज्ञापाक 1247(14)

पटना, दिनांक 07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 1968.92 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आर्हती। मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
मेडिकल सुपरिनेंडेन्ट,
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,
गाढ़ी मेमोरियल एड एसोसियेट अस्पताल
लखनऊ, उ0 प्र0— 226003

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रौशन तारा पति— मो0 सरफुद्दीन ग्राम— घुसुकपुरा बसवरिया पो0— बेतिया थाना— नगर जिला— पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-20229846024 खाता धारक का नाम—CHIEF MEDICAL SUPERINTENDENT (P.M& C.M) खाता” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—K.G.M.C LUCKNOW, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000K656 में अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग के वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

हो/-
(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

ज्ञापाक 1248(14)


पटना, दिनांक

07/07/2025

निदेशक प्रमुख

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं. 196.691 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख
 सेवा मे ,
 निदेशक
 सर सुन्दर लाल अस्पताल,
 इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
 वाराणसी – 221005

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक – 30.04.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सरकार मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	शिवरनिया देवी पति— रामप्रसाद यादव ग्राम— रामपुर परसिया पो०— इन्द्रार थाना— पौथु जिला— औरंगाबाद एमआरडी न०— 6380302	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	प्रीति पांडेय पिता— लक्ष्मी नारायण पाडेय ग्राम— सेमरा पो०+थाना— सोनहन जिला— कैमूर भभुआ एमआरडी न०— 7216942	Epilepsy Seizure	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	लालमणि देवी पति— जयप्रकाश ओझा ग्राम— बसही पो०— जलहरा थाना— राजपुर जिला— बक्सर एमआरडी न०— 6448049	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रीता देवी पति— धनन्जय सिंह ग्राम— ठोरसन पो०— पिपरा थाना— करगहर जिला— रोहतास एमआरडी न०— 5806379	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	मुन्नी देवी पति— राम निरजन ठाकुर ग्राम— घूरनपुर, पो— खनेठी थाना— करगहर जिला— रोहतास एमआरडी न0— 4480500	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	पूनम देवी पति— मृत्युजय माझी ग्राम— खिलवा, पो— बकुलारी थाना— गुठनी जिला— सिवान एमआरडी न0— 5373749	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	मदन शाह पिता— कीरा शाह ग्राम— बाघोपुर, पो— नदेनगर थाना— रोसडा जिला— समर्स्तीपुर एमआरडी नं0— 7393870	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	बेबी देवी पति— अजय प्रसाद ग्राम+पो0+थाना— नासरीगज जिला— रोहतास एमआरडी न0— 7383718	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	विवेक कुमार पिता— शेषनाथ पासवान ग्राम+पो0— बड़की खड़ारी थाना— करगहर, जिला— रोहतास एमआरडी न0— 7342748	आईटीपी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
10	सूर्यकाति देवी पति— जनार्दन दुबे ग्राम— सहुआ पो0— डुमरा साहपुर थाना— शिवसागर जिला— रोहतास एमआरडी न0— 7352807	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	कुशुम देवी पति— ठाकुर मिश्रा ग्राम— जिगना पडित पो0— जिगना दुबे थाना— भोरे जिला— गोपालगज एमआरडी न0— 7096452	END STAGE KIDNEY TREATMENT	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 9,75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,75,000/- (नौ लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 27790100039150 खाता धारक का नाम— **Other-Paitent Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— **Bank**

of Baroda, शाखा का नाम— BHU, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स0 BARB0BHUVAR मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1249 (14)

पटना, दिनांक

07/09/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196892 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि’— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे) / आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1/2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
 एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०
 डी०एल० डबलु हाईडील रोड,
 वाराणसी । 221004

पटना, दिनांक

विषय.— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जामवती कुमारी पति— स्व० हृषिकेश सिंह ग्राम— बलभद्रपुर पो०— बड़हरी थाना— करगहर जिला— रोहतास	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	इन्दू देवी पति— अवधेश कुमार चौबे ग्राम+पो०— नटवार खुर्द थाना— नटवार जिला— रोहतास	Coronary Syndrome	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अरविन्द कुमार पिता— सिरपत राम ग्राम— फिरोजपुर पो०— देवहलिया थाना— दुर्गावती जिला— कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सायरा बेगम पति— जफर अली ग्राम+पो०+थाना— दिनारा जिला— रोहतास	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	अशोक कुमार चौरसिया पिता— स्व० गुरुदेव प्रसाद चौरसिया ग्राम+पो०+थाना— नोखा जिला— रोहतास	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	कमलेश सिंह पिता— रामप्रीत सिंह ग्राम— गङ्गन्डा पो— नबीनगर रोड थाना— नबीनगर जिला— औरंगाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			4,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,70,000/- (चार लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सर्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सर्थान/अस्पताल के खाता स0-36180579026, खाता धारक का नाम— APEX WELCARE PVT, LTD खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम— SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड स0-SBIN0009252 से अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छ: माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1250(14)

पटना, दिनांक

07/07/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 176892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि'—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो (मे) / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,
 होमी भाभा कैसर अस्पताल
 घंटी मिल रोड, लहरतारा,
 ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
 वाराणसी 221002

पटना, दिनाक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 30 04 2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	निर्मल कुमार पिता— हरी नारायण साह ग्राम— मिल्की मोहल्ल चौक मरिजद पो०— आरा थाना— टाउन जिला— भोजपुर केस फाईल न0-18एफ2025 / 001533	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रिकी कुमारी पति— मिथिलेश कुमार ग्राम— सरेया पो०— भिट्ठी थाना— मोहनियाँ जिला— कैमूर भमुआ केस फाईल न0-18एफ2025 / 004104	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
3	बेबी छोटी पिता— सजय कुमार सिंह ग्राम+पो०— बसतपुर थाना— मुफसिल जिला— भोजपुर केस फाईल न0-16एफ2024 / 001915	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राम प्रवेश राय पिता— बच्चू राय ग्राम— बगरे पो०— पूर्णाडीह थाना— मदनपुर जिला— औरगाबाद केस फाईल न0-18एफ2024 / 018667	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	अंकित कुमार पिता— अनिल कुमार सिंह ग्राम— चतुर्भुजी बराव पो— बराव थाना— पिरो जिला— भोजपुर केस फाईल नं—16एफ2025 / 000464	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	तेतरी देवी पति— मोहन सिंह ग्राम— हरबलभपुर पो— कुडारी थाना— दुर्गावती जिला— कैमूर भमुआ केस फाईल नं— केै/ 16164	कैसर रोग	45,000	पैतालीस हजार स्वीकृत।
7	रणजीत सिंह पिता— रवी दीनानाथ सिंह ग्राम— दनियालपुर कुरई पो+थाना— मोहनियॉ जिला— कैमूर भमुआ केस फाईल नं— केै/ 50040	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	बिरेन्द्र कुमार राय पिता— नेपाल राय ग्राम— गगाढी पो— सेसड थाना— दिनारा जिला— रोहतास केस फाईल नं—18एफ2025 / 006317	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
9	राजेश कुमार पटेल पिता— बैजनाथ प्रसाद ग्राम— नेहरू टोला हुमाद गली पटना सिटी पो— बेगमपुर थाना— चौक जिला— पटना केस फाईल नं—18एफ2024 / 017977	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	मो० जहाँगीर पिता— मो० उस्मान कुरैशी ग्राम— हुसैनबाद कटघर गली पो— मिरजानहाट थाना— मोजाहिदपुर जिला— भागलपुर केस फाईल नं—18एफ2024 / 000826	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	अजली कुमारी पिता— अरविन्द पाण्डेय ग्राम— बैजनाथपुर पो— खनवां थाना— सिरदला जिला— नवादा केस फाईल नं—16एफ2025 / 000054	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	कलिका प्रसाद पिता— स्व० शिव धारी साह ग्राम— भड़सारा पो०+थाना— बिहिया जिला— भोजपुर केस फाईल न०—18एफ2023 / 013311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	नीलिमा देवी पति— विकेश कुमार सिंह ग्राम+पो०— कसिया थाना— डुमराव जिला— बक्सर केस फाईल न०—18एफ2024 / 019507	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	माया देवी पति— गोरखा नाथ शॉ ग्राम— बौलिया रोड जगदेव नगर पो०+थाना— सासाराम जिला— रोहतास केस फाईल न०—18एफ2024 / 015605	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	मुन्नी देवी पति— दीनानाथ तिवारी ग्राम— बभनौली पो०— रतनपुर थाना— मुफकसिल जिला— भोजपुर केस फाईल न०—16एफ2023 / 001156	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	रुक्मणि देवी पति— सजय कुमार ग्राम— मिश्रा टोला महाजन टोली न०— १ महादेव रोड आरा पो०— आरा थाना— टाउन जिला— भोजपुर केस फाईल न०— 18एफ2023 / 014097	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
17	समरजीत कुमार पिता— लक्ष्मी नारायण ठाकुर ग्राम+पो०— रतनपुर थाना— कमतोल जिला— दरभंगा केस फाईल न०—18एफ2024 / 013571	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	अजीत कुमार पिता— राधव नारायण सिंह ग्राम— गया रोड भखरुआ मोड पो०— भखरुआ थाना— दाउदनगर जिला— औरगाबाद केस फाईल न०—11एफ2024 / 011989	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	अशोक कुमार सिंह पिता— जवाहर प्रसाद सिंह ग्राम— बारडीहा पो०+थाना— नासरीगज जिला— रोहतास केस फाईल न०—18एफ2024 / 021066	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

20	शशि मोहन पिता— घुरा पासवान ग्राम— खड़ीहों पो०— छोटकी चेनारी थाना— शिवसागर जिला— रोहतास केस फाईल न०— सीवी / 14121	कैसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत विशेष परिस्थिति मे।
			19,95,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 19,95,000/- (उन्नीस लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके सम्बन्धीय स्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सम्बन्धीय स्थान/अस्पताल के खाता स० 3675632747 खाता धारक का नाम— होमी भाभा कैंसर हॉस्पीटल, वाराणसी, खाता का प्रकार— चालु, बैंक का नाम— सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड स० CBIN 0280196 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1251(14)

पटना, दिनांक— 07/05/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स० 196892 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई री एम्प्रेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक

Care Hospital Care Treatment Centre (P) Ltd.,
Bhikharipur, B L W . Sunderpur Road,
Varanasi - 221004

पटना, दिनांक . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमां क	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।	
1	2	3	4	5	
1	बिदु देवी पति— बनता प्रसाद ग्राम— बैकुठपुर पो— सोहनरिया थाना— कटेया जिला— गोपालगढ़	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।	
	रितीक कुमार पिता— पप्पू चौधरी ग्राम— कादीपुर पो— चौसा थाना— मुफ्फसिल जिला— बक्सर	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।	
			3,60,000		

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892 . .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स0— 21040638381, खाता धारक का नाम— Care Treatment Center Pvt Ltd., खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— INDIAN BANK, शाखा का नाम—Bhikharipur, Varanasi. RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000B874 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज /उनके अभिभावक /उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौंग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा ।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

हो/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 1252(14)

पटना, दिनांक 07/05/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 1768917 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 से वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैसेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
६



स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक
उपकार अस्पताल,
सुपर रेसिलिटी सेन्टर,
एन 8/91सी बी० एल० डब्ल्यू बीएचयू रोड,
नेवाडा, सुन्दरपुर,
वारानासी— 221005

पटना, दिनाक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 30.04.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	नीलम देवी पति— सुदर्शन सिंह ग्राम— भोपतपुर पो०— भिट्ठी थाना— मोहनियॉ जिला— कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 80,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0— 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स0 50200053425596 खाता धारक का नाम— UPKAR FOUNDATION, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— HDFC Bank, शाखा का नाम— LANKA VARANASI, RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0001465 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/चृद्घम नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

F

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौ के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारश्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा—एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹ ५०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक १२५३(१५)

पटना, दिनांक ०७/५/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं... १९६८९२ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वारश्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आईटी मैनेजर, स्वारश्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1/2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख
 सेवा मे ,
 निदेशक,
 टाटा स्मारक अस्पताल,
 परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनाक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 30.04.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमा क	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	पक्ज कुमार चौधरी पिता— राधेश्याम चौधरी ग्राम+पो0+थाना— झङ्गारपुर जिला— मधुबनी केस फाईल न0— सीआर / 27932	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अनीता देवी पिता— दशरथ गोप ग्राम+पो0— दौलतपुर सिमरी थाना— बिहटा जिला— पटना केस फाईल न0— सीएस / 29417	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	महेश कुमार श्रीवास्तव पिता— स्व० रामनरेश प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम— नरैनिया पो0+थाना— मीरगज जिला— गोपालगञ्ज केस फाईल नं0— 11एफ2023 / 023344	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मुन्निलाल राय पिता— स्व० राम नारयण राय ग्राम— चिरैया वार्ड 03 पो0+थाना— बरितयारपुर जिला— पटना केस फाईल न0— 11एफ2025 / 008319	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मो० सरफराज नईम पिता— मो० नईम उद्दीन ग्राम— हुसैनाबाद पन्ना मिल रोड पो०— मिरजनहाट थाना— बबरगज जिला— भागलपुर केस फाईल न०— 11एफ2024 / 023248	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	उषा देवी पति— विनोद राय ग्राम— मिश्री टोला सुल्तानगज महेन्द्रू पो०— महेन्द्रू थाना— सुल्तानगज जिला— पटना केस फाईल न०— सीवी/ 02761	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	सुरेश राय पिता—स्व० राम एकबाल राय ग्राम—बालादास मठ के पीछे तगौल साचीपट्टी पो०—हाजीपुर थाना—हाजीपुर जिला—वैशाली केसफाईलन०—11एफ2023 / 023102	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	बृजबिहारी राय पिता— रसधारी राय ग्राम— बोकनारी कला पो०— पाई बिगहा थाना— मखदुमपुर जिला— जहानाबाद केस फाईल न०— 11 एफ 2024 / 038300	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			5,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,10,000/- (पाँच लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान /अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 1968.92 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरस्थान /अस्पताल के खाता स० 1002449683 खाता धारक का नाम— टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड स० CBIN 0284241 मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय बौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०—30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ प्रमोद कुमार सिह)


ज्ञापाक 1254(14)

पटना, दिनाक

निदेशक प्रमुख
07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 1968.92... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0स0 14 / एम 11-1/2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,
 क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
 आई0डी0ए0, स्कुडर रोड
 पी0 बी0 न0-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनाक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनाक 30.04.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सम्मान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1		3	4	5
1	दशरथ लाल पिता— बसता लाल ग्राम+पो0+थाना— नरहट जिला— नवादा सीएमसी न0— 262339 एच	हृदय रोग CAD/LAD	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	कुदन कुमार पिता— रामचंद्र नोनिया ग्राम— खुटहा पो0— चेरकी थाना— गुरुआ जिला— गया सीएमसी न0— 744827 पी	किडनी मे पथरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	शिवानी कुमारी माता— रिकी देवी ग्राम— खरगपुर पो0— अबगीला चौरस थाना— चन्द्रदीप जिला— जमुई सीएमसी न0— एबी 12795	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	ज्वाला प्रसाद पिता— स्व0 बद्री लाल ग्राम+पो0— मडवा थाना— पकरीबरावा जिला— नवादा सीएमसी न0— 167749 एच	रेनल ट्युमर / कैंसर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	मधु गुप्ता पिता— भैरो प्रसाद गुप्ता ग्राम— रोना पो— बारे थाना— चाकद जिला— गया सीएमसी न0— एएच 91842	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	रिकू देवी पति— सत्येन्द्र साव ग्राम+पो— चिंचौरा थाना— कोच जिला— गया सीएमसी न0— 974304 पी	हृदय रोग डीभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	नविन कुमार पिता— जय प्रकाश पडित ग्राम— छोटी चक पो— जमालपुर थाना— गोगरी जिला— खगड़िया सीएमसी न0— 603090 एच	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
8	इन्दु देवी पति— राम मोहन मिश्रा ग्राम+पो— बटसार थाना— धोरैया जिला— बाका सीएमसी न0— एएच 51562	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	अजीत कुमार पिता— अजय प्रसाद ग्राम— मुरारपुर निकट देवी सीन मंदिर पो— बिहार शरीफ थाना— लहरी जिला— नालदा सीएमसी न0— 669213 पी	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
10	विनय कुमार पिता— लक्ष्मण पासवान ग्राम— नरहा जगदर पो— किशनपुर थाना— सहियारा जिला— सीतामढी सीएमसी न0— एआई 23475	ब्रेन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
11	हाफिज मुख्तार पिता— मोर रफीक ग्राम— बाबूगंज बारे पत्थर पो— डिहरी, थाना— डेहरी जिला— रोहतास सीएमसी न0— एआई 75605	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	निशात कुमार पिता— हरे कृष्णा कुमार ग्राम— सहालीचक पो0+थाना— मनेर, जिला— पटना सीएमसी न0— एएच 31546	कैसर / ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	आयुष राज पिता— प्रभाकर यादव ग्राम— नगेल, पो0— बिशनपुर थाना— बेलहर पुलिस स्टेशन जिला— बाका सीएमसी न0— एएच 46927	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
14	आशा भारती पति— रजीत कुमार आर्य ग्राम— दिघरा, पो0— गौरा थाना— लक्ष्मीपुर जिला— जमुई सीएमसी न0— 180624 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	राधा देवी पति— कारु सिह ग्राम— बैजलपुर पो0— अमैया, थाना— असरगज जिला— मुगेर सीएमसी न0— एएच 04481	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	धैर्य वर्मा पिता— धीरज कुमार ग्राम+पो0— पाईबिगहा थाना— पैबिधा बेलागज जिला— गया सीएमसी न0— एएच 37295	कैसर / ट्यूमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	राहुल कुमार पिता— राजेन्द्र सहनी ग्राम+पो0— सतीश नगर थाना— पसराहा जिला— खगड़िया सीएमसी न0— एएच 92315	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	मास्टर गोलू कुमार पिता— लक्ष्मण कुमार ग्राम— जमनबिगहा पो0— खलीलाबाद नेतौल थाना— कादिरगंज जिला— पटना सीएमसी न0— एए 96202	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			22,80,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 22,80,000/- (बाईस लाख अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196.892 द्वारा आहरित

कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-मेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड सं-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता ।

3. गलत प्रमाण पत्र/चृद्घुम नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्तक "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा ।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए ।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय द्वारा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1255(14)

पटना, दिनांक 07/07/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं-196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
४

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एड रिसर्च, चडीगढ— 160012

पटना, दिनांक ..

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	गौतम कुमार पिता— बासुदेव विश्वकर्मा ग्राम— बाघेखाप पो0+थाना— चेरकी जिला— गया सीआर न0— 202501264655	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स0— 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स0 10413583830 खाता धारक का नाम—“डायरेक्टर, पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0” खाते का प्रकार— चालु बैंक का नाम— एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम— मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ RTGS/IFSC कोड स0 01524 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

४

5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख
07/5/2025

ज्ञापाक 1256(14)

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196892 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. बैनर्जी, सचिव
विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
७

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,
बेली व्यु विलनीक 9,
डा० यु०एन० ब्रह्मचारी स्ट्रीट
कोलकता 700017

पटना, दिनाक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनाक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उपेन्द्र प्रसाद पत्नी— नीरू देवी ग्राम+पो०+थाना— तेल्हारा जिला— नालदा	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	मुराद हुसैन पिता—मो० ताजीम हुसैन ग्राम—दिलावरपुर नई मस्जिद वार्ड 25 पो०—मुगेर थाना—कोतवाली जिला—मुगेर	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 6,00,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,00,000/- (छ: लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0-30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-571801000097 खाता धारक का नाम— Belle Vue Clinic, खाते का प्रकार— Savings A/C बैंक का नाम— ICICI Bank. शाखा का नाम—11 ASanjini Naidu Sarani, kolkata-700017 RTGS/IFSC कोड स0-ICIC 0005718 में अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सापरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान

की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता का संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय और के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1257(14)

पटना, दिनांक

07/05/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196892 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई ई मैनेजर, स्वारथ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,
Institute of Neurosciences Kolkata,
185/1, A.J.C. Bose Road,
Kolkata – 700017

पटना, दिनांक

दिष्य – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नतिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवास संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	प्रवीण कुमार पिता— लोचन प्रसाद चौरसिया ग्राम— महदत्तपुर पो— जमुनिया थाना— नवगढिया जिला— भागलपुर	बृहत ब्रैन सर्जरी	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			3,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र का क्रास चेक स0 19.68 90
मूल रूप मे सलग्न

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सब्धित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।

5 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0-30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0

४

बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को माह के अंदर वापस किया जाय।

पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करे।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वारामाजन
८०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

०५/५/२०२५

ज्ञापाक 1258(14)

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— लेखापाल, रघुरथ विभाग, विहार, पटना (तीन प्रतियों में), आई ती मैनेजर, रघुरथ विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख